सिफारिशों का सार

आंतरिक लेखापरीक्षा नियोजन और कार्यान्वयन के संदर्भ में

1. सीबीडीटी प्रत्येक प्रशासनिक सीआईटी में शीर्ष 100 मामलों की अनिवार्य संवीक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईएपीज हेतु निर्धारित आर्थिक मानकों की समीक्षा करने पर विचार कर सकता है क्योंकि वर्तमान निर्धारित मानक 100 मामलों को अतिरिक्त सीआईटी तथा एसएपी के दायरे में लाते हैं।

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि अब लक्ष्यों तथा आर्थिक मानकों की पुनः जांच की गई है तथा मई 2015 में अनुभवी अधिकारी द्वारा शीर्ष 100 मामलों की आन्तरिक लेखापरीक्षा को कवर करने के लिए अतिरिक्त सीआईटी द्वारा लेखापरीक्षा योग्य मामलों का लक्ष्य 50 से बढ़ाकर 150 किया गया है।

(पैराग्राफ 2.6)

2. सीबीडीटी उच्च जोखिम निर्धारण इकाईयों जैसे बड़ी करदाता इकाईयाँ अन्तरण मूल्य निर्धारण कार्योलयों सहित अंन्तर्राष्ट्रीय कराधान इकाईयाँ इत्यादि की आन्तरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल के वर्षों में निर्धारण के कार्यक्षेत्र पर पुनः चर्चा करने पर विचार कर सकता है।

मंत्रालय ने बताया (जून 2015) कि उच्च जोखिम निर्धारण इकाईयां जैसे बड़े करदाता तथा अन्तर्राष्ट्रीय कराधान इकाईयाँ आन्तरिक लेखापरीक्षा का विषय हैं। यह भी बताया गया था कि तदनुसार हाल ही में सीएजी द्वारा अन्तरण मूल्य निर्धारणों की लेखापरीक्षा का निर्णय लिया गया है तथा जल्दी ही ये मामले भी आन्तरिक लेखापरीक्षा का विषय होगें।

लेखापरीक्षा का विचार है कि लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका 2011 का पैरा 1.4 पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय कराधान मामलों में अन्तरण मूल्य निर्धारणों की आन्तरिक लेखापरीक्षा निर्धारित करता है तथा इसे लागू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में देखे गए गैर-अनुपालन के दृष्टांतों से बचने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा बड़ी करदाता इकाईयों को अनिवार्यतः शामिल करने के लिए लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका 2011 को अद्यतित किया जाए।

(पैराग्राफ 2.11)

आंतरिक लेखापरीक्षा संप्रेषण, रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्यवाही के संदर्भ में

3. सीबीडीटी प्रभावी नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों और आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के सामयिक रूप से जारी होने को देखने के लिए केन्द्रीकृत निगरानी प्रणाली को लागू करने पर विचार कर सकता हैं।

मंत्रालय ने (जून 2015) में कहा था कि निगरानी और प्रभावी नियंत्रण की प्रणालियां पहलेसे ही विद्यमान हैं। प्रधान सीसीआईटी (सीसीए) और डीआईटी (लेखापरीक्षा) आवधिक रूप से राज्य और केन्द्रीय स्तर पर निष्पादन की निगरानी करता हैं।

लेखापरीक्षा ने आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के जारी होन को देखने के लिए केन्द्रीकृत निगरानी प्रणाली और लेखापरीक्षा नियमावली 2011 में आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी होने को निर्धारित करने की सिफारिश की। आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विलम्ब से जारी होना और आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का जारी न होना चिंता का विषय है जो कि आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता को प्रभावित करता हैं।

(पैराग्राफ 3.2, 3.3)

4. सीबीडीटी वार्षिक कार्ययोजना के भाग के तौर पर आपत्तियों और अनुवर्ती कार्यवाही के निपटान के लिए अंत: विभागीय बैठकों पर विचार कर सकता है और नियमित रूप से इसकी निगरानी कर सकता हैं।

*मंत्रालय ने (जून 2015) में कहा कि अनुवर्ती कार्यवाही और आपत्तियों के निपटान के लिए अंत: विभागीय बैठक को 2015-*16 *की पहली तिमाही में केन्द्रीय कार्य योजना का भाग बता दिया गया है।*

(पैराग्राफ 3.6 से 3.7, 3.11)

आईटीडी के आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्पादन मूल्यांकन के संदर्भ में

5. सीबीडीटी लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान में विलम्ब के कारणों को पता लगाने पर विचार कर सकता है और जहां आवश्यक हो लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए एओ को निर्देश दे सकता हैं।

मंत्रालय (जून 2015) मे कहा कि निपटान में देरी आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग और मूल्यांकन प्रभारों दोनों में श्रमशक्ति में आवश्यक कमी के कारण हुई।

(पैराग्राफ 4.9)

6. सीबीडीटी उपलब्ध श्रमबल की प्रभावशाली उपयोगिता और कुल कमी के निर्धारण के लिए अपर सीआईअी एसएपी और आईएपी के तहत प्रतिष्ठित मान संसाधनों के वास्तविक प्रस्तरण की निगरानी पर विचार कर सकता हैं।

मंत्रालय ने कहा कि (जून 2015) आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए अतिरिक्त श्रमबल जारी करना। सीबीडीटी के तहत विचाराधीन है।

(पैराग्राफ 4.10)

7. सीबीडीटी आंतरिक लेखापरीक्षा (पैराग्राफ 4.10) का प्रभावशाली नियोजन प्रोग्रामिंग निगरानी और नियंत्रण के लिए सीआईटी (लेखापरीक्षा) और डीआईटी (लेखापरीक्षा) के कार्यान्वयन की सहायता के लिए सूचना तकनीकी की उपयोगिता पर विचार कर सकता हैं।

मंत्रालय ने (जून 2015) में कहा कि आईटीडी मॉडयूल की कार्यात्मकता हटा दी गई हैं। आईटीडी ने अनुगमित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में सूचना तकनीक का उपयोग करने के लिए नवम्बर 2014 में डीजीआईटी (प्रणालियों) द्वारा पहले से ही कदम उठाए गए हैं। संबंधी सीआईटी (लेखापरीक्षा)/डीआईटी (लेखापरीक्षा) के विस्तारण के लिए लेखापरीक्षा योग्य मामलों (धारा 143(3), 144 और 147 के तहत) का एमआईएस बनाने के लिए पूरे देश में संबंधी सीआईटी (सीओ) को कार्यात्मकता प्रदानकी गई हैं। आगे, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को प्रभावी नियोजन और प्रोग्रमिंग से नयी आगामी आईटीबीए परियोजना में निगरानी और नियंत्रण के चरण से जिसे जल्दी ही हटाये जाने की योजना है को पूर्ण रूप से एकीकृत करते हैं प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(पैराग्राफ 4.14)

प्रधान सीसीए, सीबीडीटी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में

8. प्र.सीसीए सीबीडीटी केन्द्रीकृत आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षा के तहत आने वाली कार्यात्मक इकाईयों की कवरेज़ की निगरानी और आंतरिक

लेखपरीक्षा के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा में उसी के परिणामों की रिपोर्टिंग पर विचार कर सकता हैं।

9. प्र.सीसीए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रकाशित आंतरिक लेखापरीक्षा (जैसे कि नियोजित इकाईयो की लेखापरीक्षा कवरेज उत्पन्न हुई और व्यवस्थित लेखापरीक्षा असम्मतियों का विवरण) के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा में प्र.सीसीए के तहत आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणामों की मण्डलीय-रीति से रिपोर्ट कर सकता हैं।

उपरोक्त सिफारिशों पर मंत्रालय ने (जून 2015 में) कहा कि वार्षिक समीक्षा लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित फॉमेर्ट में तैयार की गई हैं।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य के बेहतर प्रोत्साहन के लिए प्र.सीसीए (सीबीडीटी) को कार्यात्मक इकाइयों की लेखापरीक्षा की केन्द्रीकृत निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा में क्षेत्र वार परिणामों की रिपोर्टिंग पर विचार करना चाहिए।

(पैराग्राफ 5.3, 5.10)